

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला स्वास्थ्य समिति, जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

कोविड- 91 अंतर्गत चिकित्साधिकारी 03 माह की अस्थाई संविदा नियुक्ति हेतु मेरिट क्रम के आधार पर चयनित व प्रतीक्षा सूची

क्र.	आवेदक का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	वर्ग	लिंग म/पु	गृह जिला	प्रतिशत	चयनित वर्ग	मेरिट सूची
1	डॉ. मिनाक्षी पटेल	यशवनी पटेल	02.10.1994	अपिव	म	बिलासपुर	66.57	अना	चयनित
2	डॉ उम्मेद सिंह राजपुरोहित	जीवराम सिंह राजपुरोहित	10.07.1995	सा	पु	बिलासपुर	65.55	अना.	चयनित
3	डॉ. अदिति सिंह गरेवाल	शरद गरेवाल	09.03.1993	अजा	म	बिलासपुर	64.69	अजा.	चयनित
4	डॉ. निलय तिवारी	प्रमोद तिवारी	15.08.1990	सा	पु	बिलासपुर	63.59		प्रतीक्षा सूची 1 सा.
5	डॉ शुभम अग्रवाल	गिजराम अग्रवाल	15.06.1996	सा	पु	बिलासपुर	62.20		प्रतीक्षा सूची 2 सा.
6	डॉ तरन्नुम बेगम	सैयद याकुब	29.03.1989	सा	म	बिलासपुर	51.00		प्रतीक्षा सूची 3 सा.



कार्यालय

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला स्वास्थ्य समिति, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)



Tele -07752-266011, 417780

email: cmobilaspurg@gmail.com

क्रमांक / एन.एच.एम. / 2020 / 238

बिलासपुर, दिनांक 26/05 / 2020

::नियुक्ति आदेश::

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के आदेश क्र./एनएचएम/2020/1816/4148 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 29.03.2020 के माध्यम से COVID-19 महामारी के नियंत्रण हेतु चिकित्सकीय मानव संसाधन सुनिश्चित करने के लिए अस्थाई चिकित्सा अधिकारी के पद पर निम्नांकित शर्तों के आधार पर नियुक्ति की जाती है -

क्र	आवेदक का नाम	पिता का नाम	प्रवर्ग	चयनित प्रवर्ग	पदस्थापना स्थल
1	डॉ. मिनाक्षी पटेल	यशवनी पटेल	अपिव	अना	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बिलासपुर छ.ग.
2	डॉ उम्मेद सिंह राजपुरोहित	जीवराम सिंह राजपुरोहित	सामान्य	अना.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बिलासपुर छ.ग.
3	डॉ. अदिति सिंह गरेवाल	शरद गरेवाल	अजा	अजा.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बिलासपुर छ.ग.

::नियुक्ति शर्तः::

1. पद पूर्णतः अस्थायी होगा।
2. पदस्थापना नियुक्ति तिथि से आगामी 03 माह हेतु किया जावेगा एवं कोविड-19 की स्थिति को देखते हुये आवश्यकतानुसार सेवा अवधि में वृद्धि की जा सकती है।
3. इस हेतु मानदेय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत रेशनालाईजेशन में चिकित्सा अधिकारी पद हेतु प्रावधानित **रु. 58,100/- शब्दों में रु. अठ्ठावन हजार एक सौ मात्र प्रतिमाह एकमुश्त देय** होगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
4. संविदा अविधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
5. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
6. चयनित अभ्याथियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करते समय/कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र अनफिट होने की स्थिति में नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- 6.1 प्रसूति उपरांत, प्रशासकीय नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा संविदा पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जा सकेगी।
- 6.2 प्रथम नियुक्ति के प्रथम छः माह पश्चात् ही प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी।

क्रमशः.....

